राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा प्रपत्र

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

<u>राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय</u>

सेक्टर–11, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर –302033

<u>निविदा फार्म</u>

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा

निविदा प्राप्त करने वाली फर्म का नाम

मैसर्स ....

....

....

टेलीफोन नं. .... एस.टी.डी. कोड ....

फैक्स नं. ....

निविदा प्रपत्र शुल्क– 500/–

(अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र)

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर

निविदा–फॉर्म

निविदा फार्म संख्या ....

दिनांक ....

1. **राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा**
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली वाली फर्म का नाम व डाक का पता : ....
   ....
   ....
   ....
   मोबाइल नं. (1)................................ (2)...............................
3. किसको सम्बोधित की गई : प्रधानाचार्य, राज॰स्वा॰वि॰वि॰ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सेक्टर–11, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर–302033
4. संदर्भ : क्र॰ :RUHS CMS/Store/2016-17/ 17924, Date 22-12-16
5. निविदा शुल्क की राशि रू. 500/– डी.डी. संख्या ....दिनांक............ के द्वारा जमा कर दी गई है।
6. हम .... द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. ऊपर उद्धत की गयी दरें एक वर्ष तक के लिए विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारम्परिक सहमति के आधार पर एक वर्ष तक बढाया भी जा सकेगा।
8. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .... जो ....(बैंक का नाम) आहरित किया गया है/ .... /दिनांक .... रू0 .... संलग्न है।
9. इसके साथ वैट पंजीयन एवं वैट चूकती प्रमाण–पत्र प्रस्तुत है।
10. सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो कॉलेज प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रधानाचार्य, राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को प्रदत्त करता हूं/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

"राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा प्रपत्र"

निविदा की विशिष्ट शर्ते

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को अनुबन्धित फर्म के माध्यम से श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर अकुशल, अर्द्वकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल कार्मिकों की आपूर्ति की आवश्यकता है, जिसके लिए दरें एक वर्ष की अवधि के लिए मांगी गई है। इस सम्बन्ध में शर्तें एवं नियम निम्न प्रकार हैं। फर्म दरें निविदा में उल्लेखित शर्तो को पढ़कर प्रस्तुत करें, जिसमें बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगाः–

1. सीलबन्द निविदायें जिन पर **"राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा प्रपत्र"** अंकित हो, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 12.01.2016 को दोपहर 02.00 बजे तक डाक अथवा व्यक्तिशः प्राप्त हो जानी चाहियें। निर्धारित तिथी एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 12.01.2016 को ही अपराह्न 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/ अधिकृत प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेंगी।
2. निविदा के साथ निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि रू0 18800/– जो (**Principal RUHS College of Medical Sciences, Jaipur**) के पक्ष में देय डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार्य है, जमा होना आवश्यक है। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में किसी निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
3. निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत करनी होगी, जिसे महाविद्यालय की वेबसाईट www.ruhscms.org या राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट www.sppp.raj.nic.in से download किया जा सकता है। निविदा शुल्क राशि रू. 500/– का डी.डी. जमा करवाना आवश्यक है। डी.डी. जमा की रसीद टेण्डर के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. निविदाएं **'दो कवर प्रणाली द्वारा'** आमंत्रित की जाती है। प्रथम कवर में, जिस पर ' तकनीकी बोली, स्पष्ट रूप से अंकित हो, निविदाकार के बारे में सूचना अंतर्विष्ट होगी। पूर्व –योग्यता का मानदण्ड निविदा दस्तावेज का भाग रूप होगा और सक्षम प्रदायकों का छांटने के लिए अधिकथित होगा। दूसरे कवर में, जिस पर 'वित्तीय बोली' अंकित होगी, मूल्य उद्दरण देना होगा। प्रथम कवर को पहले खोला जायेगा। निविदा खोलने वाला प्राधिकारी निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर निविदाकार की क्षमता का मूल्यांकन करेगा और इस आधार पर योग्य निविदाकारों की सूची तैयार करेगा। दूसरा कवर केवल उन निविदाकारों का खोला जायेगा जो निविदा निष्पादित करने योग्य पाये जायेगें।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

5. निविदा एक वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानानुसार अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमति से नियमानुसार और बढ़ाई जा सकती है।

6. निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

7. सभी श्रेणीवार श्रमिकों का श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता धारक होना आवश्यक है और इस हेतु वांछित प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

8. वित्तीय निविदा में दरें अंको एवं शब्दों में स्पष्ट एवं साफ अंकित करें।

9. श्रम विभाग, राज्य सरकार द्वारा श्रेणीवार कार्मिकों को निर्धारित न्यूनतम दर पर फर्म को भुगतान करना होगा। निर्धारित दरों के अनुसार राशि में से अनुमोदित फर्म द्वारा किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जावेगी। सम्पूर्ण राशि का भुगतान कार्मिक को किया जावेगा।

10. श्रमिको का बिल प्रत्येक माह को प्रभारी, सम्बन्धित विभाग से प्रमाणित कराकर प्रेषित करना होगा। बिल में से नियमानुसार आयकर की कटौति कर भुगतान किया जायेगा।

11. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में अंकित दरों में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा न ही किसी प्रकार की शर्त मान्य होगी।

12. प्राचार्य एवं नियन्त्रक, राज॰स्वा॰वि॰वि॰ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के आदेशानुसार ही कार्मिक उपलब्ध कराने होगें।

13. अनुबन्धित कार्मिक द्वारा महाविद्यालय सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति राशि अनुबन्धकर्त्ता से वसूल की जावेगी।

14. अनुबन्धकर्त्ता को नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प रुपये 500 पर इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्धित वार्षिक राशि की 5 (पांच) प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security of Deposite) के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।

15. अनुबन्ध के बीच में छोड़ने पर जमा प्रतिभूति राशि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं अनुबन्ध की शेष अवधि में होने वाले अधिक व्यय/नुकसान/हानि की वसूली अनुबन्धकर्त्ता से की जावेगी।

16. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी। स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जाएगी।

17. अनुबन्ध की अवधि में किसी कार्मिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्त्ता की होगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन की किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जावेगा और न ही इस सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।

18. अनुबन्धकर्त्ता का यह दायित्व होगा कि आदेश के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध करावे, निर्धारित संख्या में कार्मिक उपलब्ध नहीं करने की अवस्था में औसत भुगतान की दर से प्रति कार्मिक प्रति दिवस की दर से अनुबन्धक से वसूली की जाएगी।

19. कार्मिकों का नाम, पता एवं तकनीकी ज्ञान की जानकारी लिखित में महाविद्यालय को देनी होगी जैसे ही कर्मचारी बदला जावे उसकी सूचना मय सम्पूर्ण विवरण के सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

20. अनुबन्ध पर रखे कर्मचारियों का भुगतान महाविद्यालय के प्राचार्य एवं नियन्त्रक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में महाविद्यालय परिसर में सुबह 11 से 4 बजे की अवधि में करना होगा एवं अगले माह के विपत्र पर इस प्रकार का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना आवश्यक है अन्यथा विपत्र पारित नहीं किया जायेगा।

21. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली निविदा प्रपत्र में सर्विस टैक्स के रूप में लगने वाली राशि का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें अन्यथा यह माना जायेगा कि प्रस्तुत दरों में सर्विस टैक्स का भुगतान सम्मिलित है तथा सर्विस टैक्स देय होगा तो उसका भुगतान निविदादाता द्वारा ही किया जायेगा। इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

22. कार्य दिवस में यदि कोई कार्मिक बिना सूचना अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुपातिक दर से प्रति दिवस विपत्र से कटौति कर दी जाएगी।

23. महाविद्यालय द्वारा किसी भी अनुबन्धित फर्म/कर्मचारी के कार्य सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा।

24. अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों की पहचान फर्म द्वारा जारी पहचान पत्र डयूटी समय पर पहनना होगा अन्यथा राशि रू. 100/– की शास्ति लगाई जायेगी।

25. महाविद्यालय में उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न क्षेणीवार श्रमिकों की मय संख्या का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1.	अकुशल श्रमिक (Class IV - 02)
2.	कुशल श्रमिक (Electrician-01, Plumber-01)
3.	उच्च कुशल (Computer Operator-08)

उक्त के अलावा समय–समय पर आवश्यकतानुसार उपरोक्त श्रेणियों में अन्य पदों पर भी।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

26. निविदादाता/फर्म द्वारा उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल कार्मिकों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा श्रेणीवार निर्धारित/समय–समय पर परिवर्तित राशि से भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

27. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा श्रेणीवार (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक) निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने वाली निविदादाता/फर्म द्वारा कुल राशि पर लिये जाने वाला सेवा शुल्क प्रतिशत में निविदा प्रपत्र के साथ वित्तीय निविदा प्रपत्र (अनुलग्नक–3) में अंकित करें जिस सेवा शुल्क पर (श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर) निविदादाता/फर्म उक्त कार्मिक उपलब्ध कराये जायेगें। इसके अतिरिक्त निविदादाता/फर्म को किसी प्रकार का कोई शुल्क/राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

28. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश की जारी दिनांक से ही संशोधित दरें लागू की जायेगी। पृथक से किसी प्रकार का एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा।

29. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा श्रेणीवार (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक) निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने वाली निविदादाता/फर्म द्वारा कुल राशि पर लिये जाने वाला सेवा शुल्क प्रतिशत में सबसे कम सेवा शुल्क प्रतिशत में लेने वाले निविदादाता/फर्म को न्यूनतम फर्म से ही अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा/श्रमिक उपलब्ध कराने के कार्यादेश दिये जायेगे।

30. श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों एवं निविदादाता द्वारा लिये जाने वाले सेवा शुल्क प्रतिशत के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान निविदादाता को नहीं किया जावेगा।

31. निविदादाता फर्म को उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति के कार्य का राजकीय कार्यालयों/स्वायत्तशाषी संस्थानों/राजकीय विश्वविद्यालयों में कम से कम 3 वर्षों के कार्यानुभव होना आवश्यक होगा। फर्म को कार्याअनुभव के लिए राजकीय कार्यालयों/स्वायत्तशाषी संस्थानों/राजकीय विश्वविद्यालयों में किये गये कार्यों का कार्यादेशों एवं निष्पादित अनुबन्धों की सत्यापित प्रतियां लगानी होगी, अन्यथा निविदा अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दी जायेगी।

32. पैरा संख्या 27 पर उल्लेखित अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा लिये जाने वाले सेवा शुल्क प्रतिशत में न्यूनतम प्राप्त सेवा शुल्क में अन्य निविदादाता/फर्म के सेवा शुल्क प्रतिशत में समानता/एकरूपता होने पर निविदादाता/फर्म में से अधिक कार्यअनुभव को दृष्टिगत रखते हुए अनुबन्ध/कार्यादेश दिये जायेंगें (अर्थात समानता/एकरूपता वाले सेवा शुल्क प्रतिशत वाली निविदादाता/फर्मो में से अधिक कार्यअनुभव (अनुलग्नक–1 उक्त निविदा का ही पार्ट होगा), राजकीय कार्यालय/स्वायत्तशाषी संस्थान /राजकीय विश्वविद्यालयों के कार्यानुभव को प्राथमिकता प्रदान

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

की जायेगी, रखने वाली निविदादाता/फर्म से अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा व कम कार्यअनुभव रखने वाली निविदादाता/फर्म से नहीं।)

33. अनुबन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे।
34. कर्मचारी ड्यूटी समय पर अपने कार्य स्थल को छोड़कर अन्य कही नही जावेंगे।
35. अनुबन्धित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी ड्यूटी समय में अपने कार्य स्थल का कार्य अन्य कर्मचारी को सम्भालने तक करेंगे तथा ड्यूटी अवधि में मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये सम्बन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा महाविद्यालय प्रशासन किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
36. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता फर्म उत्तरदायी रहेगा।
37. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की समस्त शर्तें इस निविदा प्रपत्र की भाग होगी एवं नियम यथावत लागू होंगे।
38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
39. न्याय क्षेत्र केवल जयपुर ही रहेगा।
40. श्रमिकों के पी. एफ. एवं ई. एस. आई. (प्रभावशील होने पर) राशि के संबंध में पृथक उल्लेख निविदा में करना होगा। पी. एफ. एवं ई. एस. आई. राशि के संबंध में उल्लेख नहीं करने पर श्रम नियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण राशि जमा करवाने का दायित्व निविदाकार स्वयं का होगा। महाविद्यालय द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
41. निविदा के साथ निविदाकार को निम्न प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। जिसके अभाव में निविदा को अपूर्ण मानते हुय निरस्त कर दी जायेगी/ पर विचार नहीं किया जाएगाः—

1.	फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
2.	ई. पी. एफ. का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
3.	निविदादाता/फर्म का कार्यानुभव (राजकीय कार्यालय/ स्वायत्तशाषी संस्थान /राजकीय विश्वविद्यालय के कार्यानुभव)

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

42. निविदा सूचना में अंकित शर्तें निविदा प्रपत्र का भाग माना जाएगा। उक्त की अवेहलना/पूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

43. सभी श्रमिकों को नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश दिया जायेगा।

44. निविदादाता/फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी तथा महाविद्यालय द्वारा ना ही उस शर्त पर कोई विचार किया जायेगा।

45. निविदा सूचना में विभिन्न श्रेणीवार (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक) की वर्णित संख्या को कम व अधिक करने का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

46. फर्म द्वारा अवयस्क व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा।

47. फर्म द्वारा महाविद्यालय में उपलब्ध कराये गये विभिन्न श्रेणीवार (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक) कार्मिकों को महाविद्यालय द्वारा राजपत्रित अवकाश के दिन बुलाये जाने पर सक्षम स्तर से पूर्व स्वीकृति प्रपत्र पर अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपस्थिति प्रमाणित कराने के बाद अलग से बिल (फर्म द्वारा प्रतिमाह दिये जाने वाले नियमित बिल के अतिरिक्त) भुगतान हेतु महाविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

48. अनुबंधकर्ता द्वारा उक्त अनुबन्ध एक वर्ष के लिये किया जायेगा तथा आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि और बढ़ायी जा सकती है।

49. Rajasthan Transparency in Public Procurement Rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

अनुलग्नक–1

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने वाली निविदा के पैरा संख्या 27 पर उल्लेखित अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदादाता (निविदादाता/फर्म का नाम) .... द्वारा प्रस्तुत किये गये सेवा शुल्क प्रतिशत में उक्त निविदा हेतु अन्य निविदादाता/फर्म के सेवा शुल्क प्रतिशत में समानता/एकरूपता होने की स्थिति में, समानता/एकरूपता निविदादाता/फर्मो में से अधिक कार्यअनुभव (राजकीय कार्यालय/स्वायत्तशाषी संस्थान/राजकीय विश्वविद्यालय) को दृष्टिगत रखते हुए, अधिक कार्यानुभव वाली निविदादाता/फर्म से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा अनुबन्ध/कार्यादेश किये/दिये जाने पर निविदादाता (निविदादाता/फर्म का नाम) .... को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

राज.स्वा.वि.वि. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।

उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा

परिशिष्ट–A :तकनीकी निविदा प्रपत्र

अनुलग्नक–2

1.	Name of Firm	
2.	Name of Proprietor of the Firm	
3.	Permanent address of the Firm	
4.	Registration No. of the Firm with labour department (attested photocopy of registration be attached positively)	
5.	Whether firm have attached Registration certificate of EPF Department?	
6.	Whether firm have attached 3 years similar work experience related work orders and copies of agreements regarding supply of civil employees (karmic) in Govt./Autonomous Department / Govt. universities etc.?	
7.	Copy of Rajasthan Sales Tax (VAT) /Service Tax No.	
8.	Copy of Permanent Account No. (PAN No) enclosed? Copy of Income tax return for Financial Year 2015-16 & 2014-15?	
9.	Details of Firm's Bank Account No., Branch, IFSC Code ?	
10.	Whether firm is agreeable to all the Terms & Conditions mentioned in the Tender Document.	
11.	Name of person with his Mobile/Phone No. who will apprise the University about the status of the work	
12.	Phone No. with alternate mobile no.	
13.	Fax Number of the firm	
14.	E-mail ID of the firm	
15.	Details of Tender fees and EMD enclosed ? Give details	Tender Fee Rs. EMD Rs.
16.	Attached certificate as per Annexure-1.	
17.	Whether firms have agreed to pay the minimum wages to the labour as per Govt. approved rate?	

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील

उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा

पार्ट : "B" वित्तीय निविदा प्रपत्र

अनुलग्नक–3

श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा श्रेणीवार (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक) निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने वाली निविदादाता/फर्म द्वारा कुल राशि पर लिये जाने वाला सेवा शुल्क प्रतिशत में जिस पर निविदादाता/फर्म उक्त कार्मिक उपलब्ध कराये जायेगें। इसके अतिरिक्त निविदादाता/फर्म को किसी प्रकार का कोई शुल्क/राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा, का विवरण निम्न तालिका में अंकित करें:

क्र.सं	**विवरण**	श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा श्रेणीवार (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिक) निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने वाली निविदादाता/फर्म द्वारा कुल राशि पर लिये जाने वाला सेवा शुल्क प्रतिशत में जिस पर निविदादाता/फर्म उक्त कार्मिक उपलब्ध कराये जायेगें।	
		सेवा शुल्क प्रतिशत (अंकों में)	सेवा शुल्क प्रतिशत (शब्दों में)
1	उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा		

नोट : उक्त विवरण में ओवर राईटिंग या काट–छाँट होने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा का निरस्त कर दिया जायेगा।

वित्तीय निविदा प्रपत्र को अलग सीलबन्द लिफाफे मे प्रस्तुत करें

निविदादाता/फर्म के हस्ताक्षर मय सील